न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3396–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 01/2011–12/अ 6.

अशोक कुमार पुत्र राधेलाल
निवासी 125 लाईन नं. 2,
बिरला नगर ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– विनोद कुमार राय पुत्र बाबूलाल
निवासी हवेली पिछवाड़ा
घासमण्डी, ग्वालियर

2– आदित्य एसोसिऐटेड द्वारा पार्टनर
पुरूषोत्तम जाजू पुत्र स्व. श्री हरगोविंद जाजू
निवासी रॉयल हास्पीटल कम्पू रोड
लश्कर जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिरोल स्थित भूमि सर्वे कमांक 87 मिन 1 रकबा 0.209 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 96 रकबा 0.052 हेक्टेयर कुल रकबा 0.261 हेक्टेयर उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/2011–12/अ 6 दर्ज कर दिनांक 20–8–2013 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रकरण के निराकरण तक प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 18–9–2012 के पूर्व की स्थिति कायम किए जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण

में अनावेदक कमांक 1 को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में सुल्तानी बयनामा हुआ है, उसके बाद अनावेदक ने आवेदक से अनुबंध किया है । इस आधार पर कहा गया कि जब तक सुल्तानी बयनामा प्रभाव में है, तब तक अनुबंध पत्र भी प्रभावशील रहेगा । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक को मुख्तयारआम भी नियुक्त किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं साक्ष्य के पूर्व ही आदेश पारित किया गया है, जो विधि विपरीत एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण में विरोधाभासी तथ्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रकरणों को मंगाये बिना ही आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उसके पक्ष के मध्य निष्पादित विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर प्रस्तुत की गई है । विक्रय अनुबंध पत्र से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । जहां तक तहसीलदार के आदेश का प्रश्न है, तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जहां आवेदक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः इस स्तर पर तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर